# कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक – 2297 दिनांक – 19/07/25

## –: कार्यालय आदेश :–

मैं नवीन कुमार किलानियॉ, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) व 13(2) (धारा 14(1) व 15(2) द.प्र.सं.) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय से पूर्व में प्रसारित आदेश क्रमांक : 390 दिनांक 31.01.2024 व आदेश क्रमांक 3027 दिनांक 30.09.2024 को अधिक्रमित करते हुए मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों में कार्य समानीकरण, कार्य की सुगमता व प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उनमें प्रदत्त दांडिक क्षेत्राधिकार को परिवर्तित करने/यथावत रखने एवं क्षेत्राधिकार संबंधी विवरण को समेकित किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर द्वितीय के अनुमोदन आदेश क्रमांकः स्था0/O-08/2025/2530 दिनांक 18.07.2025 की अनुपालना में दाण्डिक मामलों की सुनवाई के संबंध में निम्न सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित न्यायालयों को कॉलम संख्या 3 में वर्णित पुलिस थानों से संबंधित कॉलम संख्या 04 में वर्णित दाण्डिक मामलों का क्षेत्राधिकार प्रदत्त/यथावत/परिवर्तित करने के आदेश निम्न प्रकार प्रसारित करता हूं :–

| क्र. सं. | न्यायालय का नाम | परिवर्तित किया गया/ यथावत रखा गया क्षेत्राधिकार/पुलिस थाना | फौजदारी क्षेत्राधिकार का विवरण | क्षेत्राधिकार यथावत/ परिवर्तित |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय | 1. कोतवाली 2. माणकचौक, 3. ब्रह्मपुरी 4. एसओजी | भा.दं.सं./भा.न्या.सं. एवं अन्य आपराधिक विविध अधिनियमों संबंधी प्रकरण | यथावत |
| 2 | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.द.प्र.), जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. महिला पश्चिम 2. झोटवाडा | यथोक्त | यथावत |
| 3 | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 01, जयपुर महानगर–द्वितीय | **1. वैशाली नगर 2. बनीपार्क** | यथोक्त | प्र.सू.रि. का दायरा अत्यधिक होने से पुलिस थाना करधनी का क्षेत्राधिकार हटाकर पुलिस थाना बनीपार्क का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया |
| 4 | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 02, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. महिला उत्तर 2. संजय सर्किल | यथोक्त | यथावत |
| 5 | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 03, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. विश्वकर्मा, | यथोक्त | यथावत |
| 6. | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 04, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. सदर 2. पर्यटक | यथोक्त | यथावत |
| 7. | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 05, जयपुर महानगर–द्वितीय | **1. करणी विहार 2. जयसिंहपुरा खोर** (पूर्व ब्रह्मपुरी थाने की जयसिंहपुरा चौकी का क्षेत्र) | यथोक्त | कार्य संतुलन को देखते हुए पुलिस थाना सेज का क्षेत्राधिकार हटाया गया |
| 8. | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 06, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. रामगंज 2. भट्टाबस्ती | यथोक्त | यथावत |
| 9. | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 07, जयपुर महानगर–द्वितीय | नगर निगम | यथोक्त | यथावत |
| 10. | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 08, जयपुर महानगर–द्वितीय (आमेर मुख्यालय) | 1. आमेर | भा.दं.सं./भा.न्या.सं., अन्य आपराधिक विविध अधिनियमों व एन.आई. एक्ट प्रकरण | यथावत |
| 11 | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 09, जयपुर महानगर–द्वितीय (आमेर मुख्यालय) | 1. जयसिंहपुरा खोर (पूर्व आमेर थाने की नाई की थडी चौकी का क्षेत्र) | यथोक्त | यथावत |

olc

| क्र. सं. | न्यायालय का नाम | परिवर्तित किया गया/ यथावत रखा गया क्षेत्राधिकार/पुलिस थाना | फौजदारी क्षेत्राधिकार का विवरण | क्षेत्राधिकार यथावत/ परिवर्तित |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 12 | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 10, जयपुर महानगर–द्वितीय (चौमू मुख्यालय) | 1. चौमू | भा.दं.सं./भा.न्या.सं., अन्य आपराधिक विविध अधिनियमों, एन.आई. एक्ट व आबकारी एक्ट संबंधी प्रकरण | यथावत |
| 13 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 05, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. सिंधी कैम्प<br>2. जालूपुरा | भा.दं.सं./भा.न्या.सं. एवं अन्य आपराधिक विविध अधिनियमों संबंधी प्रकरण | यथावत |
| 14 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 06, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. मुरलीपुरा | यथोक्त | यथावत |
| 15 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 07, जयपुर महानगर–द्वितीय | **आबकारी क्षेत्राधिकार** | पुलिस उपायुक्त पश्चिम व उत्तर के जयपुर मुख्यालय पर स्थित समस्त पुलिस थानों की सीमाओ में उद्भूत आबकारी अधिनियम संबंधी प्रकरण | कार्य संतुलन एवं पुरानी प्र.सू.रि. के लंबित रहने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस थाना चित्रकूट व बनीपार्क हटाकर आबकारी क्षेत्राधिकार दिया गया। |
| 16 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 08, जयपुर महानगर–द्वितीय | **करधनी** | भा.दं.सं./भा.न्या.सं. एवं अन्य आपराधिक विविध अधिनियमों संबंधी प्रकरण | आबकारी क्षेत्राधिकार हटाकर थाना करधनी का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया। |
| 17 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 09, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. विद्याधर नगर<br>2. नाहरगढ रोड़ | यथोक्त | यथावत |
| 18 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 10, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. भांकरोटा<br>2. बिन्दायका | यथोक्त | यथावत |
| 19 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 11, जयपुर महानगर–द्वितीय | **1. शास्त्री नगर**<br>**2. सेज** | यथोक्त | पुलिस थाना शास्त्री नगर के अतिरिक्त थाना सेज का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया। |
| 20 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 12, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. सुभाष चौक | यथोक्त | यथावत |
| 21 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 13, जयपुर महानगर–द्वितीय | मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार | पुलिस उपायुक्त पश्चिम व उत्तर के जयपुर मुख्यालय पर स्थित समस्त पुलिस थानों व पुलिस थाना बगरू की सीमाओ में पुलिस आरक्षी केन्द्रों/यातायात पुलिस/ आर.टी.ओ. द्वारा बनाये गये मोटरयान अधिनियम संबंधी चालान/प्रकरण | यथावत |
| 22 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 14, जयपुर महानगर–द्वितीय | 1. गलता गेट | भा.दं.सं./भा.न्या.सं. एवं अन्य आपराधिक विविध अधिनियमों संबंधी प्रकरण | यथावत |
| 23 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 15, जयपुर महानगर–द्वितीय | **1. कालवाड़**<br>**2. चित्रकूट** | यथोक्त | पुलिस थाना कालवाड़ के अतिरिक्त पुलिस थाना चित्रकूट का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया। |
| 24 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 17, जयपुर महानगर–द्वितीय (चौमू मुख्यालय) | 1. हरमाडा<br>2. दौलतपुरा | भा.दं.सं./भा.न्या.सं.,अन्य आपराधिक विविध अधिनियमों, एन.आई. एक्ट व आबकारी एक्ट संबंधी प्रकरण | यथावत |
| 25 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 18, जयपुर महानगर–द्वितीय (आमेर मुख्यालय) | – | थाना आमेर एवं जयसिंहपुरा खोर (पूर्व आमेर थाने की नाई की थडी चौकी का क्षेत्र) की सीमाओं में उद्भूत आबकारी अधिनियम संबंधी प्रकरण | यथावत |
| 26 | न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 27, जयपुर महानगर–द्वितीय (बगरू मुख्यालय) | 1. बगरू | भा.दं.सं./भा.न्या.सं., अन्य आपराधिक विविध अधिनियमों, एन.आई. एक्ट व आबकारी अधि.संबंधी प्रकरण | यथावत |

**नोट – 1.** उक्त पुलिस थानों की सीमाओं मे उद्भूत मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के क्षेत्राधिकार पूर्व में प्रदत्तानुसार यथावत रखा गया है।

**2.** यह आदेश दिनांक 21.07.2025 से प्रभावी होगा। उक्त दिनांक से पूर्व तक की दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों/पेश किये गये परिवादों/चालानों आदि में समस्त कार्यवाहियां पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा की जावेगी एवं उनसे संबंधित नतीजे भी पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे तथा दिनांक 21.07.2025 व उसके बाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद आदि में समस्त कार्यवाहियां इस आदेश द्वारा क्षेत्राधिकार प्राप्त करने वाले न्यायालयों द्वारा की जावेगी तथा उनसे संबंधित नतीजे भी संबंधित न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जावेंगे।

**3.** इस आदेश के द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे आपराधिक विविध अधिनियमों के प्रकरण जिनकी सुनवाई की अधिकारिता संबंधित अधिनियमों अथवा बी.एन.एस.एस./द.प्र.सं. के द्वारा इस न्यायालय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) को प्रदान की गयी है या जिन प्रकरणों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट स्तर के किसी/किन्हीं न्यायालय को अधिकृत किया हुआ है, को छोड़कर पुलिस आरक्षी केन्द्रों से संबंधित फौजदारी मामलों का क्षेत्राधिकार जिन मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों को प्रदत्त किया गया है, उन्हीं न्यायालयों द्वारा उक्त आरक्षी केन्द्रों की सीमा में उत्पन्न उन समस्त आपराधिक विविध अधिनियमों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी, जिसके लिए उन्हें बी.एन.एस.एस./द.प्र.सं. के प्रावधानोंनुसार सुनवाई किये जाने हेतु सशक्त किया गया है।

**4.** उपरोक्त प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त ऐसा क्षेत्राधिकार, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो, का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय के पास होगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रांति की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता से निर्देश प्राप्त किये जावेंगे।

(नवीन कुमार किलानियॉ)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर द्वितीय

कमांक – 2298-2311 दिनांक – 19/07/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–द्वितीय,
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–द्वितीय,
3. श्रीमान निदेशक महोदय, अभियोजन विभाग, जयपुर/उप निदेशक अभियोजन, जयपुर–II
4. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर,
5. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–द्वितीय
7. समस्त ए.सी.जे.एम./जे.एम./स्पे.जे.एम.(एन.आई.एक्ट), जयपुर महानगर–द्वितीय
8. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर
9. श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिम/उत्तर/मुख्यालय/यातायात, जयपुर महानगर
10. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलेक्ट्रेट/आमेर/चौमू/बगरू, जयपुर
11. पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु
12. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली
13. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय
14. वरिष्ठ मुंसरिम, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय

(नवीन कुमार किलानियॉ)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर द्वितीय